

अधिसूचना

पटना, दिनांक- 11.07.2006

संख्या- 11 नि0-2-13/91 (अंश) 1226/ भारत के संविधान की धारा 243 छ (11वीं अनुसूची, मद संख्या-17) तथा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अनुच्छेद-73 सह पठित अनुच्छेद 146 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय, राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के नियोजन हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं:-

1. प्रस्तावना :-

राज्य में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विस्तार तथा सुदृढीकरण के लिए राज्य सरकार ने नीतिगत निर्णय लिया है । वर्तमान में बड़ी संख्या में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता है । इसके अलावे अतिरिक्त विद्यालयों एवं शिक्षकों की आवश्यकता भी होगी । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986/1992 के आलोक में 10+2+3 पद्धति के अनुरूप +2 स्तर की उच्चतर माध्यमिक/इन्टर शिक्षा माध्यमिक विद्यालयों में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है । संविधान की 73वीं एवं 74वीं संशोधन के आलोक में सरकार ने निर्णय लिया है कि माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन का विकेन्द्रीकरण किया जाय तथा माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के नियोजन की जिम्मेवारी पंचायती राज संस्थाओं को सौंपी जाये । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विशेष योजना के अधीन माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक पद पर नियोजन हेतु यह नियमावली बनायी जा रही है ।

2. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-

- (क) यह नियमावली "बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2006" कही जायेगी ।
- (ख) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
- (ग) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

3. परिभाषाएँ :- जबतक कोई बात विषय या प्रसंग के विरुद्ध नहीं हो, इस नियमावली में -

- (i) "माध्यमिक विद्यालय" से अभिप्रेत है राजकीय/राजकीयकृत विद्यालय जिसके अन्तर्गत माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था है ;
- (ii) "जिला परिषद् माध्यमिक शिक्षक" से अभिप्रेत है माध्यमिक विद्यालय का वैसा शिक्षक जो इस नियमावली के अन्तर्गत माध्यमिक स्तर तक पढ़ाने हेतु नियोजित किया गया हो ;
- (iii) "जिला परिषद् उच्चतर माध्यमिक शिक्षक" से अभिप्रेत है माध्यमिक विद्यालय का वैसा शिक्षक जो इस नियमावली के अन्तर्गत उच्चतर माध्यमिक/इन्टर स्तर तक पढ़ाने हेतु नियोजित किया गया हो ;
- (iv) "विभाग" से अभिप्रेत है मानव संसाधन विकास विभाग ;
- (v) "जिला परिषद्" से अभिप्रेत है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अन्तर्गत गठित जिला परिषद् ;
- (vi) "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्" से अभिप्रेत है NCTE या अन्य किसी नाम से विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षण संस्थाओं एवं प्रशिक्षण व्यवस्था को नियमित करनेवाली परिषद् ;
- (vii) "मेधा अंक" से अभिप्रेत है शिक्षक के नियोजन हेतु तैयार किये जाने वाले मेधा सूची के अंक का आधार ;

(viii) "मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी" से अभिप्रेत है जिला परिषद का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ;

(ix) "समिति" से अभिप्रेत है जिला परिषद माध्यमिक विद्यालय शिक्षक के नियोजन हेतु पैनल तैयार करने के लिए अध्यक्ष, जिला परिषद की अध्यक्षता में गठित समिति ।

4. नियुक्ति हेतु :-

(क) जिला परिषद माध्यमिक शिक्षक के लिए अहर्ता :-

(i) भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हों ।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक की डिग्री हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी ।

(iii) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम लागू होने के पूर्व मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से बी०एड० अथवा अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से बी०एड० की डिग्री ।

(iv) शारीरिक शिक्षा शिक्षक के लिए :-

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक डिग्री । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी ।

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम लागू होने के पूर्व राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा दी गयी शारीरिक शिक्षा में डिग्री या समकक्ष अर्हता का प्रमाण पत्र अथवा अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री या समकक्ष अर्हता का प्रमाण पत्र ।

(v) ओरियंटल शिक्षक के लिए -

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/समिति से संस्कृत/फारसी/अरबी में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक अथवा स्नातक स्तर के समकक्ष डिग्री । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी ।

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम लागू होने के पूर्व मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से बी०एड० अथवा अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से बी०एड० की डिग्री ।

(vi) संगीत/ललित कला शिक्षक के लिए :-

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से संगीत/ललित कला विषय में स्नातक-डिग्री अथवा उसके समकक्ष अर्हता ।

(ख) जिला परिषद उच्चतर माध्यमिक शिक्षक के लिए अहर्ता :-

(i) भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो ।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विनिर्दिष्ट विषय में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको

